भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4937

दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 को उत्तर के लिए

विशेष किशोर पुलिस इकाइयों का वित्त पोषण

4937. श्री बैजयंत जे पांडाः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विशेष किशोर पुलिस इकाइयां जो कि कई राज्यों में स्थापित किए गए हैं के वित्त पोषण के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त योजना के अंतर्गत ऐसी इकाइयों के वित्त पोषण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या राज्यों को ऐसी इकाइयों हेतु अन्य किसी योजना की निधियों का उपयोग करने की अनुमति है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुच्छेद 107 में राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रशासनों द्वारा हर जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) का सृजन करने और बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कार्यों का समन्वय करने का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के तहत राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रशासनों को जिला बाल संरक्षण इकाई के तहत दो सामाजिक कार्यकर्त्ता नियुक्त करने और जब कभी अपेक्षित हों, विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) को उनकी सेवाएं के लिए प्रतिनियुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

*****